सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 544 / 13

—01—

1. चरनसिंह
2. बलवीरसिंह | पि0 रोशन पुत्र घम्मन पुत्र मिल्लू
3. रघुवीर
4. जोहरी | पि0 घम्मनपुत्र मिल्लू
5. मनोहरी

जातियान जाटव (चमार) निवासीयान भुआपुरगढी तह0 नगर

—— वादिनी

बनाम

1. मु0 सुफेदी | पुत्रियान स्व0 घसीटा पुत्र भागमल
2. मु0 नत्थो
3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 किशोरी पुत्र भागमल
4. जंगली पुत्र भागमल
5. जगदीश पुत्र भागमल
6. विशन पुत्र स्व0 नत्थी पुत्र छुट्टी
7. रामदेई पत्नि परभाती पुत्र छुट्टी
8. राधेलाल | पिस0 स्व0 परभाती पुत्र छुट्टी
9. विजेन्द्र
10. भागवती पुत्री स्व0 परभाती पुत्र छुट्टी कौम जाटव निवासीयान भुआपुरगढी
11. रूपसिंह
12. अतरसिंह | पिस0 स्व0 महीलाल पुत्र स्व0 मम्मल पुत्र स्व0 रामवक्श
13. सुरेश
14. रामस्वरूप
15. पतरी पत्नि स्व0 महीलाल पुत्र मंगल पुत्र रामवक्श
16. लक्ष्मन पुत्र स्व0 रामदयाल पुत्र स्व0 मंगल पुत्र स्व0 रामवक्श
17. मूलचन्द
18. श्रीचन्द | पिस0 स्व0 नत्थी पुत्र स्व0 मंगल पुत्र स्व0 रामवक्श कौम जाटवान निवासियान
19. दुलीचन्द | कस्बा नगर तह0 नगर
20. श्रीमान् तहसीलदारजी तह0 नगर

—— असल प्रतिवादीगण

21. उपतहसीलदार एवं उप रजिस्ट्रार सीकरी

—— फौरमल प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

——2——

1. जगनी | पुत्रांन भागमल
2. जगदीश |
3. रामस्वरूप पुत्र किशोरी
4. विजेन्द्र |
5. राधे | पुत्रांन परभाती
6. रामदेई पत्नि परभाती
7. भगवती पुत्री परभाती
8. जितेन्द्र |
9. नरेन्द्र | पुत्रांन बाबूलाल
10. वीरेन्द्र |
11. प्रकाश |
12. तारावती पत्नि बाबूलाल
13. रूपसिंह |
14. सुरेश | पुत्रांन मिहलाल
15. चतर |
16. अतर |
17. हरकिशन पुत्र नत्थी
18. हरग्यानी पुत्री रामजीलाल
19. लक्ष्मण पुत्र रामदयाल वारिस मंगल
    जातियान चमार निवासी ग्राम भुआपुरगढी तह0 नगर —— वादीगण

**बनाम**

1. चरनसिंह
2. रघुवीर
3. बलवीर
4. जौहरी
5. मनोहरी
6. सुफेदी पुत्री घसीटा
7. नत्थो पुत्री घसीटा
8. सुखदेई पत्नि नत्थी वारिसान मंगल
9. मूलचन्द
10. श्रीचन्द
11. दुलीचन्द

**12. विधा**
**13. शकुन्त**
**14. कमलेश**
**15. चन्द्रा पत्नि रोशन**
**जातियान चमार निवासी ग्राम भुआपुरगढी तह0 नगर**
**16. तहसीलदार तहसील नगर**
**17. सब रजिस्ट्रार कम नायब तहसीलदार सीकरी**

**—— प्रतिवादीगण**

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट**

**उपस्थित —**

**श्री दीनदयाल गर्ग, अधिवक्ता चरनसिंह बगै0 — वादी0 / प्रति0**

**श्री गिरेन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता जगनी बगै0 — वादी0 / प्रति0**

## <u>निर्णय</u> दिनांक 28 / 11 / 2017

उक्त दोनों प्रकरणों में वि0आ0 एवं पक्षकारान एक समान होने से दोनों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है । प्रथम दावा वादीगण चरनसिंह बगै0 ने बाबत खातेदारी उदघोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा प्रतिवादीगण सुफेदी बगै0 के विरूद्ध इस आश्य का संस्थित किया है कि हाल आ0ख0नं0 221 / 0.46 साविक ख0नं0 192 रकबा 2 बी0 13 वि0 हाल ख0नं0 374 / 0.51 साविक ख0नं0 249 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा बाके ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर वादीगण के पूर्वज घम्मन वल्द मिल्लू कौम चमार को सम्वल 2012 से पूर्व आवंटित हुई थी इस प्रकार मुताविक राज0काश्त0अधि0 1955 वादी0 के पूर्वज स्वत खातेदार काश्तकार हो चुके थे । दौराने भू प्रबंध गैर कानूनी तरीके से घम्मन के वारिसान को केवल एक चौथाई हिस्से पर और तीन चौथाई रकवें पर प्रतिवादी0 असल व इनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जबकि बंदोवस्त अधिकारियों को पूर्व के इन्द्राज परिवर्तित करनें का अधिकार नही है विवाहित आराजी पर वादीगण आज भी काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वि0आ0ख0 के सालिम हि0 पर अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है वर्तमान गलत इन्द्राज के आधार पर प्रति0 ने कि अतः से वादी0 को बेदखल करके तथा आ0 को रहन वय मुतकिल करने की धमकी दी है विदी वजह वादी0 विरूद्ध प्रति0 डिक्रि स्थाई निषेद्याज्ञा पाने के अधिकारी है अतः में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्रि फरमाया जाकर आ0ख0नं0 211 / 0.46, 374 / 0.'51 बाके

ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर से प्रति0 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलभजन किया जाकर वादीगण 1 लगा0 3 को हि0 1/3 पर वाहिस्सा बराबर वादी सं0 4 को हि0 1/3 पर तथा वादी सं0 5 को हि0 1/3 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रति0 को जारी स्थाई निषेद्याज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण सं0 1,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18, एवं 19 ने दिनोंक 09.07.2013 को न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया जावें प्रभावित किया जाकर शालिम पत्रावली किया गया ये प्रति0 सं0 2,10 से 15,20,21 की दिनांक 03.10.2016 तलबी बंद की गई।

द्वितीय दावा वादीगण जगनी बगैरा ने प्रतिवादीगण चरनसिंह बगैरा के विरूद्ध विभाजन उदघोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा इस आश्य का संस्थित किया है कि हाल आ0ख0नं0 221/0.46, 374/0.51 किता 2 रकबा 0.97 हैक्टे0 बाके ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की आ0 है जिस पर वे अपने –अपने हि0 अनुसार काविज रहकर काश्त करते चले अस रहे है प्रतिवादीगण लटटु व बाने बंद गिरोह बंद व्यक्ति है जो वादी0 के हि0 की आ0 में कभी किसी दिशा में तथा काश्त कर के लगते है जिससे अब संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नही रहा है विदी वजह वादी0 वि0आ0 का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आ0 का विभाजन कराकर पृथक –2 खाता व लगान कायम कराने के अधिकारी है तथा प्रति0 को जरिए स्थाई निषेद्याज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी है अतः में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्रि फरमाया जाकर वि0आ0 पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मुताविक राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी अलग–2 खाता बंदी की जावें प्रति0 को जरिए स्थाई निषेद्याज्ञा पाबंद कियाजावें किवे वादी0 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

वादीगण चरनसिंह बगैरा ने अपने दावा के प्रदर्शन में नकल जमाबंदी सं0 2013 नलि ख0 पलक भू प्रबंध विभाग सं0 2028 किता 2 नकल जमरबंदी सं0 2065,68 दस्तावेजात प्रस्तुत किये है इसी प्रकार प्रतिवादी0 जगनी बगैरा ने अपने दावा के साथ नकल जमाबंदी सं0 2065,68 प्रस्तुत की है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावलियों का शुरू से अतः तक ध्यान पूर्वक अवलोकन किया नकल जमाबंदी सं0 2065–68 बाके ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर के खाता सं0 273 पर वि0आ0ख0नं0 221/0.46, 374/0.51 की बाबत '' रोशन जोहरी व मनोहरी सि0 धम्मन वहि0 1/4 हि0 नत्थी व किशोरी जंगनी व जगदीश विस0 भागमल वहि0 व 1/4 हि0 नत्थी व परभाती पिस0 बुद्धी वहि0 1/4 हि0 मंगल पुत्र रामवक्स 1/4 हि0 कौम चमार सा0 देह पट!टेदार'' दर्ज है तथा नामा0 सं0 632 विरासत परभाती के स्थान पर रामदेई बगैरा का नाम दर्ज करने का नोट लाल ल्यादी से अंकित है

नकल ख0 पलक भू प्रबंध विभाग सं0 2028 के अनुसार हाल ख0न0 221/0.46 साविक आ0ख0नं0 192 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा से तथा ख0 नं0 374/0.51 साविक खं0नं0 249 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा से बनाया जाना ससवित होता है जिसके कौलम नं0 23 में भागमल व बुद्धी पि0 सुखराम व हि0 बराबर किस्फ धम्मन वल्द मिल्लू चौ0 गंगल वल्द रामबक्स पट्टेदार काश्त धम्मन वल्द मिल्बू जाति चमार सा0 देह पट्टेदार दर्ज है नकल जमाबंदी सं0 2013 के खाता सं0 94 पर साविक खं0नं0 192 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा छीतर कौम चमार साकिन देह पट्टेदार दर्ज होना पाया जाता है इस प्रकार उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड के विवेचन से यह साबित है कि पूर्व में वि0आ0 वादीगण के पूर्वजों धम्मन पुत्र मिल्लू के कब्जे काश्त की आराजी है जिसके दौरान भू प्रबंध नवीन खसरा नम्बरान बनाते समय धम्म के वारिसान को केवल 1/4 हि0 पर दर्ज किया है तथा शेष 3/4 हि0 में प्रतिवादी0 एवं उनके पूर्वजों का नाम अंकित कर दिया गया जबकि कानूनन सैटिलमैण्ट को पूर्व के इन्द्राज परिबर्तित करने का अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण ने भी राजीनामा प्रस्तुत कर अंकित किया है की विवावित आराजी पर वादीगएण के पुर्वज धम्मन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फोर्स में आने से ही काबिज रहा था तथा उनके बाद धम्मन पुत्र मिल्लू के तीन पुत्र रोशन, जोहरी, व मनोहरी काबिज रहकर व हि0 बराबर काश्त करते चले आ रहे हमेशा वादीगण का ही कब्जा काश्त है दौराने सैटिलमैण्ट राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया जो कलभजन होगाा तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें इस प्रकार उक्त समस्त विवेचानुसार वादीगण चरनसिंह बगैरा का दावा डिक्रि किये जाने योग्य पाया जाता है तथा जगनी बगैरा का दूसरा दावा काबिल खारिज योग्य है अत5 आदेश है कि दावा सं0 544/13 डिक्रि किया जाता है आ0,ख0नं0 221/0.46, 354/0.51 बाके ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर से हो रहे वद्रमान इन्द्राज प्रतिवादी0 कलभजन किये जसते है तथा वादीगण 1 लगा0 3 को हि0 1/3 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है बाद सं0 535/13 खारिज किया जाता है इसी प्रकार पर्चा डिक्रि जारी हो निर्णय की एक–एक प्रति दानों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**

निर्णय आज दिनांक 28/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**